CREATING THE INFRA FOR LOCAL CABLE MANUFACTURE & EASE OF BIZ

The 'Make in India' thrust has provided incentives to boost the local cable technology manufacture. At the same the focus on 'Ease of business' is simplifying the norms to encourage investments.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

In view of the foregoing discussion, the authority recommends that:

1. Government should establish Centres of Excellence for Broadcasting and converged technologies via PPP model or upgrade the Telecom Centres of Excellence to include focus on broadcasting tehcnologies and equipment. Such centre(s) should have representation from MIB, academia and concerned industry stakeholders to promote research and development to harness the capabilities and opportunities present and to build new capabilities and opportunities in the broadcasting industry. In collaboration with Ministry of Electrnics and Information technology (MeITy) and Department of Telecommunications (DOT), MIB should especially focus on emerging technologies and tenets of era of convergence and aim at building an eco-system for broadcast equipment.

2. Council for Promoting Exports in the broadcasting sector is necessary. Government should focus on enabling Telecom Export Promotion Council (TEPC)

स्थानीय केबल उद्योग और व्यापार में आसानी के लिए बुनियादी ढ़ांचा तैयार करना

'मेक इन इंडिया' जोर ने स्थानीय केबल प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है। साथ ही व्यापार में आसानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मानदंडों को सरल बनाया जा रहा है।

सिफारिशों का सारांश

उपरोक्ता चर्चा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि ः

1. सरकार को पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रसारण और कन्वर्जंस प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना चाहिए या प्रसारण प्रौद्योगिकियों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों को अपग्रेड करना चाहिए। ऐसे केंद्रों में मौजूद क्षमताओं और अवसरों का दोहन करने और प्रसारण उद्योग में नयी क्षमताओं और अवसरों का निर्माण करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एमआई बी, शिक्षा जगत और संबंधित उद्योग हितधारकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और दूरसंचार विभाग (आईटी) के सहयोग से एमआईबी को विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों और कन्वर्जंस के युग के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रसारण उपकरणों के लिए एक इको–सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

2. प्रसारण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल आवश्यक है। सरकार को स्थानीयस्तर पर निर्मित प्रसारण उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए टेलीकॉम एक्सपोर्ट

or some similarly placed organization to also promote and facilitate exports of locally manufactured broadcast equipment. TEPC may involve representatives of MIB and stakeholders from Broadcasting industry to improve the focus on broadcasting equipment.

3. Telecom Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications should be mandated to test and standardise all the broadcast equipment. TEC should release the list of specifications and requirements to be followed in manufacturing of the broadcast equipment.

4. To promote manufacturing of local broadcasting equipment, MIB may consider appropriate measures for developing local R&D ecosystem as enumerated below:

   i. Strengthen existing R&D Centres in public sector, such as C-DOT. MIB should consider appropriate target-based grant to C-DOT at least for 3 years for R&D work in support of local manufacturing of broadcasting equipment. Besides developing STB/ Hybrid-OTT STB/ CAS/ ONT/ ONU such R&D should include, emerging technologies in the era of convergence and 5G broadcasting as well

   ii. MIB should also examine development of local R&D ecosystem along with industry participation through PPP route.

   iii. MIB should create 'Technology development Fund' to promote R&D and development of local products/ technologies for Broadcasting Sector.

   iv. Government should formulate a scheme to incentivize use of local CAS through an incentive structure for Distribution Platform Owners (Multi Systems Operators/ DTH Operators / HITS operator etc.).

   v. In order to oversee and review outcome of such measures to promote R&D and standardisation, a Standing Empowered Committee headed by Secretary of MIB along with members from MeitY, C-DOT, C-DAC, BECIL, TEC should be constituted.

5. A go-to market strategy may also be adopted for the

प्रमोशन काउंसिल (टीईपीसी) या कुछ इसी तरह के संगठन को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रसारण उपकरणों पर फोकस को बेहतर बनाने के लिए टीईपीसी एमआईबी के प्रतिनिधियों और प्रसारण उद्योग के हितधारकों को शामिल कर सकती है।

3. दूरसंचार विभाग के टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) को सभी प्रसारण उपकरणों का परीक्षण और मानकीकरण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। टीईसी को प्रसारण उपकरण के निर्माण में पालन की जाने वाली विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की सूची जारी करनी चाहिए।

4. स्थानीय प्रसारण उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमआईबी नीचे बताये अनुसार स्थानीय अनुसंधान व विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए उचित उपायों पर विचार कर सकता हैः

   i. सार्वजनिक क्षेत्र में सी-डॉट जैसे मौजूदा अनुसंधान और विकास केंद्रों को मजबूत करें। एमआईबी के प्रसारण उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण के समर्थन अनुसंधान व विकास कार्य के लिए सी डॉट को कम से कम **3** वर्षो के लिए उचित लक्ष्य-आधारित अनुदान पर विचार करना चाहिए। एसटीबी/हाईब्रिड -ओटीटी एसटीबी/सीएएस/ओएनटी/ओएनयू विकसित करने के अलावा ऐसे अनुसंधान व विकास में कन्वर्जस के युग में उभरती प्रौद्योगिकियों और **5**जी प्रसारण भी शामिल होना चाहिए।

   ii. एमआईबी को पीपीपी मार्ग के माध्यम से उद्योग की भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय अनुसंधान व विकास पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की भी जांच करनी चाहिए।

   iii. एमआईबी को प्रसारण क्षेत्र के लिए अनुसंधान व विकास और स्थानीय उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 'प्रौद्योगिकी विकास कोष' बनाना चाहिए।

   iv. सरकार को वितरण प्लेटफॉर्म मालिकों (मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/डीटीएच ऑपरेटर/एचआईटीएस ऑपरेटर आदि) के लिए एक प्रोत्साहन संरचना के माध्यम से स्थानीय सीएएस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए।

   v. अनुसंधान व विकास और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपायों के परिणामों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एमआईबी के सचिव की अध्यक्षता में एमईआईटीवाई, सी-डॉट, सी-डैक, बीईसीआईएल, टीईसी के सदस्यों के साथ एक स्थायी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए।

products developed through local R&D. MIB should designate an agency (e.g., BECIL) to develop appropriate modules and guidelines in the lines of 'Policy on Transfer of Technology' by DRDO for skill development and technology dissemination to different stakeholders in the distribution value chain.

6. Linear Set Top boxes should be brought under PLI scheme. On the basis of the disability in local manufacturing of set top boxes, MIB may decide suitable rate of incentive to be provided under PLI scheme, in line with the incentives being provided by other Ministries. Also, the Standing Empowered Committee should examine demand potential of other broadcasting equipment, including its latent export demand, if any. Equipment having adequate demand potential may be brought under PLI scheme to promote local manufacturing of such equipment.

7. The Empowered Committee should periodically review the availability of indigenous components required for broadcasting equipment including chipsets. The availability of local components shall be taken into consideration while setting the localisation levels under the PLI scheme. The Committee should also periodically review the local availability of components and revise the localisation levels under the PLI scheme accordingly.

8. The empowered committee should periodically review the investment outlay required for obtaining benefits under the PLI scheme with a view to promote manufacturing by MSME for some selected equipment as may be identified from time to time.

9. MIB should promote local manufacturing of other relevant components (as may be identified by the Standing Empowered Committee) of the television broadcasting sector along the lines of Semicon India Program, so as to enable development of local ecosystem for manufacturing of television broadcast equipment.

10. MIB should consider to define the scope of 'local manufacturing' for different equipment categories in the television broadcasting sector in terms of the percentage of the locally sourced components/ services. The requirements of localisation as specified

5. स्थानीय अनुसंधान व विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों के लिए बाजार में जाने की रणनीति भी अपनायी जा सकती है। एमआई बी को वितरण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति की तर्ज पर उचित मॉड्यूल और दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए एक एजेंसी (उदाहरण के लिए बीई सीआईएल) को नामित करना चाहिए।

6. लीनियर सेट टॉप बॉक्स को पीएलआई स्कीम के तहत लाया जाये। सेट टॉप बॉक्स के स्थानीय उत्पादन में विकलांगता के आधार पर एमआईबी अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रोत्साहन के अनुरूप, पीएलआई योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन की उपयुक्त दर तय कर सकता है। इसके अलावा स्थायी अधिकार प्राप्त समिति को अन्य प्रसारण उपकरणों की मांग क्षमता की जांच करनी चाहिए, जिसमें इसकी गुप्त निर्यात मांग, यदि कोई हो, भी शामिल है। ऐसे उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मांग क्षमता वाले उपकरणों को पीएलआई योजना के तहत लाया जा सकता है।

7. अधिकार प्राप्त समिति को चिपसेट सहित प्रसारण उपकरणों के लिए आवश्यक स्वदेशी घटकों की उपलब्धता की समय सीमा पर समीक्षा करनी चाहिए। पीएलआई योजना के तहत स्थानीयकरणस्तर निर्धारित करते समय स्थानीय घटकों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जायेगा। समिति को समय-समय पर घटकों की स्थानीय उपलब्धता की भी समीक्षा करनी चाहिए और तदनुसार पीएलआई योजना के तहत स्थानीयकरण स्तरों को संशोधित करना चाहिए।

8. अधिकार प्राप्त समिति को समय समय पर पहचाने जाने वाले कुछ चयनित उपकरणों के लिए एमएसएमई द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश परिव्यय की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।

9. एमआईबी को सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तर्ज पर टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के अन्य प्रासांगिक घटकों (जैसाकि स्थायी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहचाना जा सकता है) के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि टेलीविजन प्रसारण उपकरणों के निर्माण के लिए स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सक्षम किया जा सके।

10. एमआईबी को टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न उपकरण श्रेणियों के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त घटकों/सेवाओं के प्रतिशत के संदर्भ में स्थानीय विनिर्माण के दायरे को परिभाषित करने पर विचार

under the PLI scheme or any other incentivization scheme should be specified with reference to the local availability of the components. The Standing Empowered Committee should periodically review the availability of local components and its scope.

11. MIB should engage with the Ministry of Commerce through the Empowered Committee and carry out a comprehensive review of the FTAs and such agreements with regard to their impact on local manufacturing in the television broadcasting sector and evaluate:

    iv. the need for any amendments in the existing agreements,

    v. the need of setting sunset date for the extant provisions,

    vi. to work out factors to be taken into consideration in future while entering into such agreements, to suitably protect the interests of the local manufacturing sector.

    The market trends, international obligations, and diplomatic necessities may be taken into consideration while carrying out such a review.

12. It is expedient to clarify a specific HS code for the Hybrid Set-Top boxes, keeping in view the functionalities of the equipment in order to eliminate any ambiguities. MIB should resolve this issue appropriately by forming a committee under the chairmanship of Secretary from MIB and having members from Ministry of Finance, Ministry of Revenue and Department of Commerce. The committee should submit its recommendations withing 6 months of its formation as this issue is affecting the vision of Atmanirbhar Bharat.

13. MIB should form a high level standing committee under the chairmanship of Secretary MIB and having members from Central Board of Indirect Taxes (CBIC) as well and should evaluate the issue of grey market of STBs in terms of illegal trade and payments in tandem with the measures undertaken by Central Board of Indirect Taxes and Customs and other relevant authorities in this regard. Immediate action is required in this regard, as such illegal activities are causing loss of revenue to the exchequer, in addition to causing undesirable asymmetries in the market.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
सत्यमेव जयते

करना चाहिए। पीएलआई योजना या किसी अन्य प्रोत्साहन योजना के तहत निर्दिष्ट स्थानीयकरण की आवश्यकताओं को घटकों की स्थानीय उपलब्धता के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। स्थायी अधिकार प्राप्त समिति को समय-समय पर स्थानीय घटकों की उपलब्धता और उसके दायरे की समीक्षा करनी चाहिए।

11. एमआईबी को अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से वाणिज्यि मंत्रालय के साथ जुड़ना चाहिए और टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थनीय विनिर्माण पर उनके प्रभाव के संबंध में एफटीए और ऐसे समझौतों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिएः

iv. मौजूदा समझौतों में किसी तरह की संशोधनों की आवश्यकता,

v. मौजूदा प्रावधानों के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करने की आवश्यकता,

vi. स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र के हितों की उचित रूप से रक्षा करने के लिए ऐसे समझौतों में प्रवेश करते समय भविष्य में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों पर काम करना।

ऐसी समीक्षा करते समय बाजार के रूझान, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और राजनयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

12. किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए उपकरण की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए, हाईब्रिड सेट टॉप बॉक्स के लिए एक विशिष्ट एचएस कोड को स्पष्ट करना उचित होगा। एमआईबी को एमआईबी के सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति बनाकार इस मुद्दे को उचित रूप से हल करना चाहिए। समिति को अपने गठन के **6** महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है।

13. एमआईबी को एमआईबी सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति बनानी चाहिए और इसमें केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य भी शामिल होने चाहिए, साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और इस संबंध में अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये उपायों के साथ अवैध व्यापार और भुगतान के संदर्भ में एसटीबी के ग्रे मार्केट के मुद्दे का मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी अवैध गतिविधियों से सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही बाजार में अवांछनीय विषमतायें भी पैदा हो रही है।

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

A. SINGLE WINDOW SYSTEM

A1. CHARACTERISTICS OF SINGLE WINDOW SYSTEM

The Authority recommends that all the concerned Ministries/ Departments should adopt a user-friendly, transparent and responsive digital single window system. The portal should provide easy to navigate mechanism for access to all statutory/ policy guidelines, amendments, orders, office memorandums related to a license/ registration/ permission/ clearance. The portal should be enabled with new digital technologies for achieving end-to-end inter-departmental online process. In addition, the portal should incorporate the following features:

a. All the processes to be duly incorporated in the portal for consideration and grant of:
   i. Initial license/ registration/ permission/ clearance;
   ii. Test report (Approval/ Rejection/ Qualifications- if any);
   iii. Renewal of license/ registration/ permission/ clearance;
   iv. Addition or modification in the license/ registration/ permission/ clearance;
   v. Assignment of resources including spectrum/ numbering resources etc.

b. Process for submission/ acknowledgement of:
   i. Electronic Bank Guarantee/ Security Deposit/ any other charges or deposits;
   ii. Activities related to Merger & Acquisition;
   iii. Signing of the License Agreement;
   iv. Compliance/ Reporting submission;
   v. Issue and compliance of:

सिफारिशों का सारांश

ए. सिंगल विंडो सिस्टम

ए1. सिंगल विंडो सिस्टम की विशेषतायें

प्राधिकरण की सिफारिश है कि सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और उत्तरदायी डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम अपनाना चाहिए। पोर्टल को लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/निकासी से संबंधित सभी वैधानिक/नीति दिशा निर्देशों, संशोधनों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों तक पहुंचने के लिए आसान नेविगेशन तंत्र प्रदान करना चाहिए। अंत से अंत अंतर विभागीय ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए पोर्टल को नयी प्रौद्योगिकियों के साथ सक्षम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पोर्टल में निम्नलिखित विशेषतायें शामिल होनी चाहिएः

ए. विचार और अनुदान के लिए सभी प्रक्रियाओं को पोर्टल में विधिवत शामिल किया जाना चाहिए

i. प्रारंभिक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/निकासी
ii. परीक्षण रिपोर्ट (अनुमोदन/अस्वीकृति/योग्यता–यदि कोई हो तो)
iii. लाइसेंस / पंजीकरण/अनुमति/निकासी का नवीनीकरण
iv. लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/निकासी में परिवर्तन या संशोधन
v. स्पेक्ट्रम/नंबरिंग संसाधन आदि सहित संसाधनों का आवंटन।

बी. निवेदन/प्राप्ति सूचना की प्रक्रियाः
   i. इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा/कोई अन्य शुल्क या जमा।
   ii. विलय और अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियां
   iii. लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करना
   iv. अनुपालन/रिर्पोटिंग प्रस्तुत करना
   v. जारी करना और उसका अनुपालन ः

1. Show Cause Notice for any non-compliance, reply of the notice and decision thereof;
2. All associated Notices and replies in relation to the above license/ registration/ permission/ clearance;

vi. Request for release of Bank Guarantee and Security Deposit and release thereof;

vii. Request for Surrender of license/ permission/ registration.

c. For each license/ registration/ permission/ clearance, distinct user manual and sample forms/ formats with duly filled in sample data.

d. Drop-down menu driven forms with simple application formats seeking only the relevant information.

e. Use of digital technologies like Digi-Locker agreements, contracts with digital signatures, block chain technology, cloud computing, integration with e-office, chatbot mechanism, virtual assistant, automated call centre, artificial intelligence-based tracking, analysis and response systems, analytics, reporting and Management Information System.

f. Precise and well-published timelines in the in-built Citizen Charter as well as in the user manual of each process with strict adherence to such timelines. Citizen Charter to be an integral part of the portal. Provision of deemed approval to be applicable, wherever feasible.

g. Facilitation of online payment of permission fee, registration fee, license fee, annual renewal fee and any other applicable fee and integration with all existing payment systems.

h. Seamless integration with all other concerned ministries/ departments/ agencies to achieve 'Whole of the Government' approach.

i. Queries related to shortcomings, observations or objection raised by the Ministry/ Department to be raised through the portal. Applicant to be prompted through automated mail/ SMS. The query and additional documents required, if any, also to be clearly mentioned. Submission of stakeholder response to the query on the portal itself. Queries to be raised in a

1. किसी भी गैर अनुपालन के लिए कारण बताओ नोटिस, नोटिस का उत्तर और उसका निर्णय
2. उपरोक्त लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/निकासी के संबंध में संबद्ध नोटिस और उत्तर

vi. बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा जारी करने और उसे जारी करने का अनुरोध,

vii. लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण/समपर्ण के लिए अनुरोध

सी. प्रत्येक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति/निकासी के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता मैनुअल और विधिवत भरे हुए नमूने डेटा के साथ नमूना फॉर्म/प्रारूप

डी. केवल प्रासंगिक जानकारी मांगने वाले सरल आवेदन प्रारूपों के साथ ड्रॉप डाउन मेनू संचालित फॉर्म।

इ. डिजी लॉकर समझौते, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अनुबंध, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-ऑफिस के साथ एकीकरण, चैटबॉट तंत्र, वर्चुअल असिस्टेंट, स्वाचालित कॉल सेंटर, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस आधारित ट्रैकिंग, विश्लेषण और प्रतिक्रिया प्रणाली, एनालिटिक्स जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग, रिर्पोटिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली।

एफ. अंतर्निहित नागरिक चार्टर के साथ-साथ प्रत्येक प्रक्रिया के उपयोगकर्ता मैनुअल में सटीक और अच्छी तरह से प्रकाशित समयसीमा के सख्त पालन के साथ। नागरिक चार्टर पोर्टल का अभिन्न अंग होगा। जहां भी संभव हो, डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान लागू होगा।

जी. अनुमति शुल्क, पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क और किसी भी अन्य लागू शुल्क के ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण।

एच. 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ निर्बाध एकीकरण

आई. मंत्रालय/विभाग द्वारा उठायी गयी कमियों, टिप्पणियों या आपत्ति से संबंधित प्रश्न पोर्टल के माध्यम से उठाये जायेंगे। आवेदक को स्वचालित मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आवश्यक प्रश्न और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो तो, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पोर्टल पर ही प्रश्न पर हितधारक की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना। प्रश्न समयबद्ध तरीके से उठाये जाने चाहिए। एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग समय की जांच करते

time-bound manner. Clock start-clock stop mechanism to be applied while checking end-to-end processing time. All the queries/ observations to be raised together in one instance.

j. Stakeholders' Enquiry System related to any license/ registration/ permission/ clearance and any other queries for both existing and prospective users with reply in time-bound manner, both on the portal and through designated officer(s) Desk off the portal.

k. Any change in guidelines or process to be notified to the service providers in their logins and through email and SMS.

l. The portal to automatically reflect the subject wise (licence/ registration/ permission/ clearance) status of number of applications received, pending applications, average pendency, applications in process, applications rejected, and licenses issued. Such information should be publicly available.

m. Integration with the National Single Window System (NSWS) developed by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

A2. OTHER IMPORTANT MEASURES TO REAP THE BENEFITS OF 'SINGLE WINDOW SYSTEM'

The Authority recommends that:

a. Affidavits prescribed in the extant guidelines and application formats, if any, should be abolished and replaced with self-certificates.

b. For an existing service provider, the requirement of getting 'prior approval' should be replaced with 'prior intimation', wherever feasible.

A3. EODB COMMITTEE

The Authority recommends that each Ministry and its department should establish an Ease of Doing Business (EoDB) Committee to regularly review, simplify and update the existing processes and to ensure ease of doing business in the sector as an on-going activity. The Committee should consist of the following officers:

समय क्लॉक, स्टार्ट क्लॉक स्टॉप क्लॉक मैकेनिज्म लागू किया जाना चाहिए। सभी प्रश्न/टिप्पणियां एक ही उदाहरण में एक साथ उठाये जाने चाहिए।

जे. हितधारकों की पूछताछ प्रणाली किसी भी लाइसेंस/ पंजीकरण/अनुमति/निकासी और मौजूदा और संभावित दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी अन्य प्रश्न से संबंधित है, जिसका उत्तर पोर्टल पर और पोर्टल के नामित अधिकारी (यों) के माध्यम से समयबद्ध तरीके से दिया जाता है।

EASE OF DOING BUSINESS

के. दिशानिर्देशों या प्रक्रिया में कोई भी बदलाव सेवा प्रदाताओं के उनके लॉगिन और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

एल. पोर्टल स्वचालित रूप से प्राप्त आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदन, औसत लंबितता, प्रक्रिया में आवेदन, अस्वीकृत आवेदन और जारी किये गये लाइसेंस की विषयवार स्थिति (लाइसेंस /पंजीकरण/ अनुमति/निकासी) को प्रतिबिंबित करेगा। ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

एम. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्लूएस) के साथ एकीकरण

ए2. सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ उठाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपाय

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. मौजूदा दिशानिर्देशों और आवेदन प्रारूपों में निर्धारित शपथ पत्र, यदि कोई हो, को समाप्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर स्व प्रमाण पत्र लागू किया जाना चाहिए।

बी. मौजूदा सेवा प्रदाता के लिए, जहां भी संभव हो, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को पूर्व सूचना से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

ए3. ईओडीबी समिति

प्राधिकरण की सिफारिश है कि प्रत्येक मंत्रालय और उसके विभाग को मौजूदा प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा, सरलीकरण और अपडेट करने और चालू गतिविधि के रूप में क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए एक ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) समिति की स्थापना करनी चाहिए। समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होने चाहिएः

a. A senior level officer of Additional Secretary (AS)/ Joint Secretary (JS) level from the concerned Ministry/ Department

b. Two officers from field/ regional offices

c. Two members from among the service providers

d. Two members from the industry associations

The members of the standing committee from service providers and industry associations should be nominated on a rotational basis to cover all the services and processes, with each member having a specific tenure. The committee should periodically take inputs from all the stakeholders/ associations.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (MIB)

B. ISSUES RELATED TO BROADCASTING AND TV DISTRIBUTION

B1. TIMELINES RECOMMENDED FOR MIB FOR BROADCASTING/ DISTRIBUTION RELATED PROCESSES

The Authority recommends that:

a. MIB should specify stage-wise timelines for the process of grant of each license, registration and permission in a similar manner as has been done for Uplinking and Downlinking permission for TV channels.

b. MIB should also prescribe timelines for additional permissions required during the lifecycle of the permission.

c. All the timelines should be incorporated in the respective Guidelines as well as the Citizen Charter/ BroadcastSeva portal.

B2. INFRASTRUCTURE STATUS TO BROADCASTING AND CABLE SERVICE SECTOR

The Authority recommends that given the importance of Cable Services sector in expanding television

ए. संबंधित मंत्रालय/विभाग से अतिरिक्त सचिव (एएस)/संयुक्त सचिव (जेएस) स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी

बी. फील्ड/क्षेत्रीय कार्यालयों से दो अधिकारी

सी. सेवा प्रदाताओं में से दो सदस्य

डी. उद्योग संघों से दो सदस्य

सेवा प्रदाताओं और उद्योग संघों से स्थायी समिति के सदस्यों को सभी सेवाओं और प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए रोटेशनल आधार पर नामित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक विशिष्ट कार्यालय हो। समिति को समय समय पर सभी हितधारकों /संघों से इनपुट लेना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी)

बी. प्रसारण और वितरण से संबंधित मुद्दे

बी1. प्रसारण/वितरण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए एमआईबी के लिए अनुसंशित समयसीमा

प्राधिकरण अनुसंशा करत है किः

ए. एमआईबी को प्रत्येक लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमति देने की प्रक्रिया के लिए उसी तरह चरणवार समयसीमा निर्दिष्ट करनी चाहिए जैसे टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमति के लिए की गयी है।

बी. एमआईबी को अनुमति के जीवनचक्र के दौरान आवश्यक अतिरिक्त अनुमतियों के लिए समयसीमा भी निर्धारित करनी चाहिए।

सी. सभी समयसीमाओं को संबंधित दिशानिर्देशों के साथ-साथ सिटीजन चार्टर/ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में भी शामिल किया जाना चाहिए।

बी2. प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा

प्राधिकरण की सिफारिश है कि टेलीविजन सेवाओं के साथ-साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में केबल सेवा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए,

services as-well-as Broadband services, the Government may consider and grant 'Infrastructure Status' to 'Broadcasting and Cable Services Sector'.

B3. CENTRE OF EXCELLENCE FOR BROADCASTING SERVICES

The Authority reiterates that Government should establish Centre of Excellence or align with Centre of Excellence established by other ministries/ department (e.g., Telecom Center of Excellence) to study technical, economic, social and legal aspects of broadcasting services.

B4. ISSUES RELATED TO MHA SECURITY CLEARANCE

The Authority recommends that:

a. For seeking MHA security clearance, MIB should issue explicit guidelines. The process of security clearance of an applicant company and its key personnel should be made end-to-end online. MIB in close coordination with MHA should provide transparent timelines.

b. For ensuring compliance, MIB may prescribe a standard undertaking to be submitted by each service provider on annual basis. Such undertaking should certify that either no change in Management Control/ Ownership control has happened during the year or that the changes in the management/ ownership structure have been submitted and requisite permission has been duly received (as applicable).

सरकार प्रसारण और केवल सेवा क्षेत्र पर विचार कर सकती है और उसे बुनियदी ढ़ांचे का दर्जा दे सकती है।

बी3. प्रसारण सेवाओं के लिए उत्कृष्ट केंद्र

प्राधिकरण ने दोहराया है कि सरकार को प्रसारण सेवाओं के तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना चाहिए या अन्य मंत्रालयों/विभागों (उदाहरण के लिए दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र) द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

बी.4 गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. एमएचए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए एमआईबी को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। आवेदक कंपनी और उसके प्रमुख कर्मियों की सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को शुरू से अंत तक ऑनलाइन किया जाना चाहिए। एमआईबी को गृह मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में पारदर्शी समयसीमा प्रदान करनी चाहिए।

बी. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमआईबी प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने के लिए एक मानक उपक्रम निर्धारित कर सकता है। ऐसे उपक्रम को प्रमाणित करना चाहिए कि वर्ष के दौरान प्रबंधन नियंत्रण/स्वामित्व नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं हुआ है या प्रबंधन/स्वामित्व संरचना में परिवर्तन प्रस्तुत कर दिया गया है और अपेक्षित अनुमति विधिवत प्राप्त कर ली गयी है (जैसा लागू हो)।

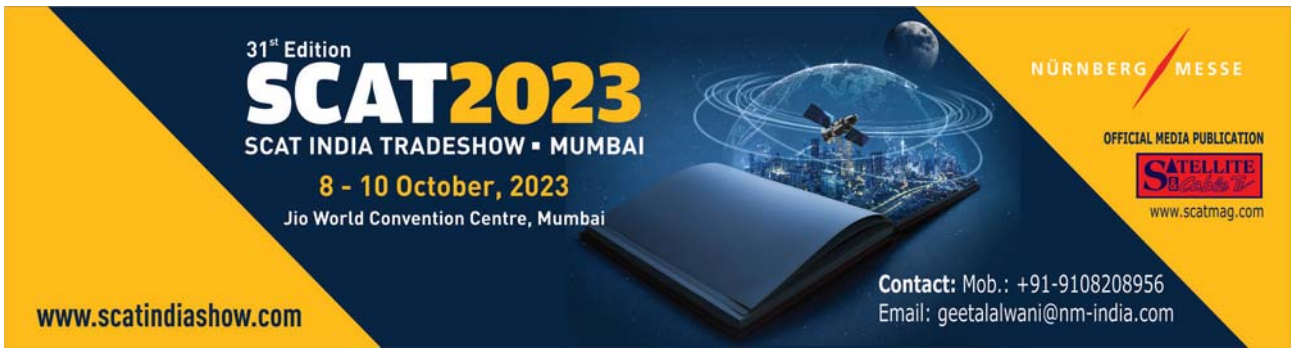

C. ISSUES WITH RESPECT TO SATELLITE TV CHANNELS/ TELEPORT AND RELATED PERMISSIONS

C1. EXAMINATION OF APPLICATIONS OF TV CHANNELS BY EMPANELED CA AND DEPARTMENT OF REVENUE

The Authority reiterates to examine and remove:

a. *the requirement of examining net worth, ownership details, shareholding pattern and its effect on net worth etc. for companies to run news or non-news channels, by the empaneled CA of MIB.*

b. *the requirement of examining the compliance of clause 10 (iii) of the 'Uplinking Downlinking Guidelines, 2022' (erstwhile clause 1.3 and 1.4 of the downlinking policy guidelines) by the Department of Revenue.*

The Authority recommends that MIB may rely upon the documents available in Statutory filings like Income Tax, MCA21 portal having compliances to the Companies Act for verification of para a and b above.

C2. RENEWAL OF PERMISSION FOR SATELLITE TV CHANNEL

The Authority recommends that the online portal should provide an option to broadcasters/ teleport operators to make payment of the annual permission fee either for one year or more than one year. No refund of the annual fee paid in advance by the broadcaster may be permitted in any case. MIB should amend the uplinking downlinking guidelines accordingly.

C3. WPC ROYALTY FEES FOR TEMPORARY UPLINKING OF LIVE COVERAGE OF EVENTS

The Authority recommends that WPC should charge the spectrum royalty fee for temporary uplinking of live events on pro-rata basis for actual number of days of the event (i.e., basis per day charges) instead of

सी. सैटेलाइट टीवी चैनलों/टेलीपोर्ट और संबंधित अनुमतियों से संबंधित मुद्दे

सी1. पैनल में शामिल सीए व राजस्व विभाग द्वारा टीवी चैनलों के आवेदनों की जांच

प्राधिकरण जांच करने और हटाने की बात दोहराता है।

ए. एमआईबी के सूचीबद्ध सीए द्वारा समाचार या गैर-समाचार चैनल चलाने के लिए कंपनियों के निवल मूल्य, स्वामित्व विवरण, शेयरधारिता पैटर्न और निवल मूल्य पर इसके प्रभाव आदि की जांच करने की आवश्यकता है।

*बी. राजस्व विभाग द्वारा अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश **2022** (डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के पूर्ववर्ती खंड **1.3** और **1.4**) के खंड **10** (**3**) के अनुपालन की जांच करने की आवश्यकता है।*

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि एमआईबी उपरोक्त पैरा ए और बी के सत्यापन के लिए कंपनी अधिनियम के अनुपालन वाले आयकर, एमसीए पोर्टल जैसे वैधानिक फाइलिंग में उपलब्ध दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है।

सी2. सैटेलाइट टीवी चैनल के लिए अनुमति का नवीनीकरण

प्राधिकरण की सिफारिश है कि ऑनलाइन पोर्टल को प्रसारकों/टेलीपोर्ट ऑपरेटरों को एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के लिए वर्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए। किसी भी मामले ब्रॉडकास्टर द्वारा अग्रिम भुगतान किये गये वार्षिक शुल्क की वापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी। एमआईबी को तदनुसार अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश में संशोधन करना चाहिए।

सी3. घटनाओं के लाइव कवरेज की अस्थायी अपलिंकिंग के लिए डब्लूपीसी रॉयल्टी शुल्क

प्राधिकरण की सिफारिश है कि डब्लूपीसी को लाइव इवेंट के अस्थायी अपलिंकिंग के लिए स्पेक्ट्रम रॉयल्टी शुल्क को पूरे महीने के लिए चार्ज करने बजाय इवेंट के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर चार्ज करना चाहिए (यानी प्रति दिन के आधार पर

charging for entire month. MIB should take up the matter with WPC.

D. ISSUES RELATED TO DISTRIBUTORS OF TV CHANNELS

D1. SIMPLIFIED REGISTRATION AND VALIDITY OF REGISTRATION FOR LCOS

The Authority reiterates that the registration of LCO and its renewal should be carried out through online portal. Further, the period of registration for LCO should be increased to 5 years.

The Authority recommends that:

a. A simple mobile app should also be developed by MIB for registration of LCOs. Request for cancellation of LCO registration before 5 years should also be enabled on the online portal and mobile app.

b. The Right of Way (RoW) portal ("GatiShakti Sanchar Portal") should incorporate all the service providers including LCOs. DoT should enable RoW approvals for LCOs also in consultation with MIB. A hyperlink/ button icon should be provided on the MIB portal and the mobile app to reach the RoW portal.

c. All the service providers (including LCOs) should be enabled for easy linkages of registration information with GST registration portal. A forward/ backward linkage with GST portal from MIB online portal/ app will enable the users.

d. MIB should maintain a common database of registered LCOs and access to view the LCO data should be provided to all the concerned Authorities like Municipality, local Authorities and TRAI. List of the registered LCOs should also be made available to the public at large. ■

शुल्क)। एमआईवी को यह मामला डब्लूपीसी के समक्ष उठाना चाहिए।

डी. टीवी चैनलों के वितरकों से संबंधित मुद्दे

डी. टीवी चैनलों के वितरकों से संबंधित मुद्दे

डी1. एलसीओ के लिए सरलीकृत पंजीकरण और पंजीकरण की वैधता

प्राधिकरण ने दोहराया है कि एलसीओ का पंजीकरण और उसका नवीनीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा एलसीओ के लिए पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण अनुसंशा करता है किः

ए. एलसीओ के पंजीकरण के लिए एमआईवी द्वारा एक सरल मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाना चाहिए। 5 वर्ष से पहले एलसीओ पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सक्षम किया जाना चाहिए।

बी. राइट ऑफ वे (आरओडब्लू) पोर्टल (गतिशील संचार पोर्टल) में एलसीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग को एमआईवी के परामर्श से एमसीओ के लिए भी आरओडब्लू अनुमोदन सक्षम करना चाहिए। आरओडब्लू पोर्टल तक पहुंचने के लिए एमआईवी पोर्टल और मोबाइल ऐप पर एक हाइपरलिंक/बटन आइकन प्रदान किया जाना चाहिए।

सी. सभी सेवा प्रदाताओं (एलसीओ सहित) जो जीएसटी पंजीकरण पोर्टल के साथ पंजीकरण जानकारी के आसान लिंकेज के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। एमआईवी ऑनलाइन पोर्टल/ऐप से जीएसटी पोर्टल के साथ फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनायेगा।

डी. एमआईवी को पंजीकृत एलसीओ का एक सामान्य डेटाबेस बनाये रखना चाहिए और नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकरण और ट्राई जैसे सभी संबंधित प्राधिकरणों को एलसीओ डेटा देखने की पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। पंजीकृत एलसीओ की सूची भी बड़े पैमाने पर जनता को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ■

SATELLITE & Cable Tv MAGAZINE
ADVERTISE NOW !
Contact: Mob.: +91-9108208956 Email: geeta.lalwani@nm-india.com